तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/1778/2006/सवाईमाधोपुर** **रामकिशन बनाम रमेशचन्द्र व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री जगदीश प्रसाद माथुर, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांकः—11.08.2025

1— यह निगरानी न्यायालय उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी द्वारा वाद संख्या 201/93 में पारित आदेश दिनांक 10—03—2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गयी।

3— वकील प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि आर्डर 7 नियम 1 जा0दी0 के प्रावधानों के अनुसार विपक्षी/वादी को अपने दावे के समर्थन में सभी दस्तावेज दावे के साथ प्रस्तुत कर देने चाहिए थे। किन्तु उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था। इस कारण अब धारा 151 जा0दी0 की आड में उसे दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता था। न्यायालय उप जिला कलक्टर ने इस बात पर गौर नहीं किया कि जहां पर जा0दी0 के प्रावधान स्पष्ट हैं वहां पर न्यायालय धारा 151 सीपीसी के तहत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने का आदेश प्रदान करने में सक्षम नहीं है। प्रार्थी द्वारा धारा 188 का दावा दिनांक 29—09—94 को प्रस्तुत कर दिया था तथा विपक्षी द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया गया था वह वर्ष 93 में दायर किया गया था। उस समय की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, बल्कि जो दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत की जा रही है वह सन् 2003 से 2004 की है जो कि दावे को निर्णित करने के लिए किसी भी प्रकार से सुसंगत साक्ष्य नहीं है न ही दावा दायरी के बाद के इन प्रोसिडिंग के आधार पर दावा निर्णित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश प्रदान करते समय उक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने बाबत् कोई कारण अंकित नहीं किया है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी का आदेश स्पीकिंग आदेश की तारीफ में नहीं आता है। नामांतरकरण की अपील में अति0 जिला कलक्टर द्वारा की गयी कार्यवाही दावे पर कोई वैधानिक प्रभाव नहीं रखाती है तथा नामांतरकरण की कार्यवाही नॉन ज्युडिशियल कार्यवाही है। इस कारण यदि तहसीलदार ने कोई पत्र लिख दिया है तो उसे दावे को निर्णित करने के लिए रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता। यह कार्यवाही प्रार्थी को उसके अधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से की गयी थी। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10—03—2006 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस अभिकथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुरसिटी के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के साथ जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है वे प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेजात है। उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/1778/2006/सवाईमाधोपुर** **रामकिशन बनाम रमेशचन्द्र व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

लिये जाने से प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी। उपर्युक्त समस्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षण न्यायालय उप जिला कलक्टर गंगापुरसिटी ने अपने आदेश दिनांक 10–03–2006 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमायी जाकर न्यायालय उप जिला कलक्टर गंगापुरसिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–03–2006 बहाल रखा जावे।

5– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। न्यायालय उप जिला कलक्टर गंगापुरसिटी ने अपने आदेश दिनांक 10–03–2006 के द्वारा अनिगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया है। परीक्षण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेजात को प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु महत्वपूर्ण एवं सहायक होना बताते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष काफी समय से वाद लंबित है। उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

6– उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। परीक्षण न्यायालय उप जिला कलक्टर गंगापुरसिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–03–2006 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य